रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1503] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2018/चैत्र 27, 1940

No. 1503] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2018/CHAITRA 27, 1940

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

का.आ. 1657 (अ) .—चूंकि, भारी उद्योग विभाग ने अपने का.आ. 830(अ) दिनांक 13 मार्च, 2015 के अनुसार, फेम इंडिया [भारत में (हाईब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] नामक स्कीम अधिसूचित की ।

2. और चूंकि, फेम इंडिया स्कीम का चरण-1 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से आरंभ हो कर दो वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए था।

3. और चूंकि, फेम इंडिया स्कीम का चरण-1 का.आ.सं.1055(अ) दिनांक 30 मार्च, 2017 के अनुसार छः माह की और अवधि अर्थात दिनांक 30 सितंबर, 2017 अथवा चरण-II के अनुमोदन तक, जो भी जल्दी हो, के लिए बढ़ाया गया था ।

4. और चूंकि, फेम इंडिया स्कीम का चरण-1 का.आ. सं. 3013(अ) दिनांक 12 सितंबर, 2017 के अनुसार छः माह की अवधि अर्थात् दिनांक 31मार्च, 2018 अथवा नीति आयोग द्वारा फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के आरंभ होने तक, जो भी जल्दी हो, के लिए आगे बढ़ाया गया था ।

5. इसलिए, अब, फेम इंडिया स्कीम का चरण-1 छः माह की और अवधि अर्थात दिनांक 30 सितंबर, 2018 अथवा फेम इंडिया स्कीम के चरण- II के आरंभ होने तक, जो भी जल्दी हो, के लिए बढ़ाया गया है। यह विस्तार दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी माना गया है ।

6. इसलिए, का.आ. 830(अ) दिनांक 13 मार्च, 2015 के अनुसार जारी फेम इंडिया [भारत में (हाईब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] की अधिसूचना और का.आ.1055(अ) दिनांक 30 मार्च, 2017 तथा का.आ. सं. 3013(अ) दिनांक 12 सितंबर, 2017 के अनुसार अधिसूचित स्कीम के विस्तार को तद्नुसार संशोधित किया गया है ।

[फा.सं. 12(14)/2017-एईआई]

विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2018

S.O. 1657(E).—Whereas, the Department of Heavy Industry notified the scheme namely FAME India [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India] vide S.O. 830 (E) dated 13th March 2018.

2. And whereas, the Phase-1 of the FAME India Scheme was for two years i.e. FY 2015-16 and FY 2016-17, which commenced from 1st April 2015.

3. And whereas, the Phase-1 of the FAME India Scheme was extended for a further period of six months i.e. upto 30th September 2017 or till approval of Phase-II, whichever is earlier, vide S.O. 1055(E) dated 30th March 2017.

4. And whereas, the Phase-1 of the FAME India Scheme was further extended for a period of six month i.e. upto 31st March 2018 or till launching of Phase-II of FAME India Scheme by NITI Aayog, whichever is earlier, vide S.O. No. 3013(E) dated 12th September 2017.

5. Now, therefore, the period of the FAME India Scheme is further extended for a further period of six months i.e. upto 30th September 2018 or till date of launching of Phase-II of FAME-India Scheme , whichever is earlier. The extension is deemed to have taken effect on 1st April 2018.

6 Therefore, FAME India Scheme [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India] scheme notification issued vide S.O. 830(E) dated 13th March 2015 and subsequent extensions of the scheme notified vide S.O. 1055(E) dated 30th March 2017 & S.O. No. 3013(E) dated 12th September 2017, stands amended accordingly.

[F. No. 12(14)/2017-AEI]

VISHVAJIT SAHAY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.